अध्याय–II

2. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

ऊर्जा विभाग

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड

2.1 पारेषण लाइन के निर्माण पर निष्फल व्यय

कम्पनी द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण का नियोजन ठीक नही था जिसके परिणामस्वरूप निर्माण की लागत एवं उधार लिए गए धन पर ब्याज पर ₹ 2.08 करोड़ की हानि के अतिरिक्त क्रय की गयी सामग्री पर ₹ 4.21 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध हुयी।

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की पारेषण कार्य अनुमोदन समिति[1] (टीडब्ल्यूएसी) ने 132 केवी उपकेन्द्र कुन्डेसर–गाजीपुर को वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नवीन 220 केवी उपकेन्द्र भदौरा, गाजीपुर से निकलने वाली एक नवीन 25 किमी. की 132 केवी सिंगल सर्किट (एससी) भदौरा–कुन्डेसर पारेषण लाइन (लाइन) के ₹ 8.34 करोड़ के प्राक्कलित लागत पर निर्माण हेतु अनुमोदन दिया (17 मई 2013)। यह विद्युत पारेषण खण्ड–II वाराणसी (खण्ड) द्वारा प्रेषित किये गये प्रारम्भिक प्राक्कलन पर आधारित था। कम्पनी ने टर्नकी आधार पर ₹ 5.73 करोड़ के अनुबंधित मूल्य पर एक ठेकेदार[2] को लाइन के निर्माण का कार्य (कण्डक्टर एवं अर्थवायर की आपूर्ति के अतिरिक्त) दिया (जुलाई 2015) एवं ठेकेदार के साथ अगस्त 2015 में अनुबंध निष्पादित किया।

अनुबंध की तकनीकी शर्तों (टीसीसी) के उपबंध 1.2.3.1 में वर्णित था कि निर्माण के लिए आदेश देने पर, ठेकेदार प्रस्तावित पारेषण लाइन के मार्ग का एक विस्तृत सर्वेक्षण करेगा एवं प्रत्येक प्रस्तावित संरचना की स्थिति, स्पैन की लंबाई एवं संरचना के प्रकार को दर्शाता हुआ आरेख तैयार एवं प्रस्तुत करेगा। आगे, टीसीसी के उपबंध 1.2.7 में वर्णित था कि विस्तृत सर्वेक्षण की जांच के लिए एक जांच सर्वेक्षण किया जाएगा एवं उसके पश्चात, ठेकेदार एक अन्तिम प्रोफाइल शीट एवं टॉवर अनुसूची को पर्यवेक्षक अभियंता के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। टॉवर अनुसूची सभी टॉवरों की स्थिति, टॉवरों के प्रकार, प्रत्येक टॉवर के लिए नींव का प्रकार एवं नदी को पार करने वाले स्पैन आदि को दिखायेगा। कार्य को किसी भी जगह में शुरू नहीं होना चाहिये जब तक कि पर्यवेक्षक अभियंता द्वारा अनुसूची का अनुमोदन न दिया जाये।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2018) कि पारेषण लाइन के निर्माण के कार्य में गंगा नदी का पारण स्थान शामिल था। हालाँकि, खण्ड द्वारा तैयार किये गये एवं टीडब्ल्यूएसी द्वारा स्वीकृत किये गये प्राक्कलन में नदी के पारण स्थान वाले टॉवरों के लिए आवश्यक विशेष नींव की लागत को सम्मिलित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सभी टॉवरों की टॉवर अनुसूची के अनुमोदन के बिना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया

---

[1] टीडब्ल्यूएसी में प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (आपरेशन), निदेशक (कार्य एवं परियोजना), निदेशक (वाणिज्यिक एवं नियोजन) एवं अधीक्षण अभियंता (पारेषण नियोजन एवं ऊर्जा प्रणाली अध्ययन) शामिल हैं।

[2] मै0 ईएमसी लिमिटेड।

(3 अक्टूबर 2015)। ठेकेदार ने कुल स्थापित होने वाले 63 टॉवरों में से अक्टूबर 2017 तक 40 टॉवरों को स्थापित कर दिया था, जिसके सापेक्ष कम्पनी ने ठेकेदार को ₹ 5.22 करोड़[3] का भुगतान कर दिया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने फसल क्षतिपूर्ति पर भी ₹ 0.06 करोड़ का व्यय किया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि विद्युत जानपद पारेषण खण्ड, वाराणसी (ईसीटीडी) ने नदी के पारण स्थान वाले टॉवरों के लिए आवश्यक विशेष नींव के लिए ₹ 30.32 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्तुत किया (मई 2007)। लागत–लाभ विशलेषण के पश्चात, टीडब्ल्यूएसी ने नदी पारण से सम्बंधित कार्य पर ₹ 30.32 करोड़ की अतिरिक्त वृहद लागत से बचने के लिए, 132 केवी उपकेन्द्र कुण्डेसर, को वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए एक नई 132 केवी एससी कासिमाबाद–कुण्डेसर लाइन का ₹ 10.40 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर निर्माण करने का निर्णय लिया (फरवरी 2018)। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने भदौरा–कुण्डेसर लाइन के पहले से स्थापित किये गए 40 टॉवरों को विघटित करने का निर्णय लिया (मार्च 2018) लेकिन 31 जुलाई 2020 तक उनको विघटित नहीं किया गया।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा ठीक से नियोजन नही करने एवं अनुबंध के अधीन आवश्यक सभी टॉवरों की टॉवर अनुसूची के अनुमोदन के बिना कार्य को प्रारम्भ करने के कारण कार्य पर किया गया ₹ 1.07 करोड़[4] की धनराशि का व्यय निष्फल हो गया एवं कम्पनी को हानि हुई। इसके अतिरिक्त, टॉवरों की स्थापना लिए सामग्री के क्रय पर ठेकेदार को किये गये ₹ 4.21 करोड़ का भुगतान अवरूद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त, चूंकि कम्पनी ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से धन उधार लिया था, इससे 31 मार्च 2019 तक परित्यक्त लाइन के कार्य पर ₹ 1.01 करोड़ के ब्याज का भार इसे वहन करना पड़ा।

शासन एवं प्रबंधन ने भदौरा–कुण्डेसर लाइन के प्राक्कलन तैयार करने में फील्ड–ऑफिसर की ओर से कमियों को स्वीकार किया (मई/जून 2020) एवं बताया कि कमियों की पृथक रूप से जांच की जा रही है एवं उचित कार्यवाही की जाएगी। उत्तर कम्पनी की ओर से अनुचित नियोजन की पुष्टि करता है जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई/धनराशि अवरुद्ध रही।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

2.2 ठेकेदार को अनुचित लाभ

ठेकेदार से ब्याज मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम की वसूली समयबद्ध तरीके से नहीं करने के कारण कम्पनी को ₹ 99.27 लाख की हानि हुयी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के दिशा–निर्देश (अप्रैल 2007) यह प्रावधान करते हैं कि ब्याज मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम (एमए) की वसूली कार्य की प्रगति से सम्बद्ध न होकर समय आधारित होनी चाहिए। एमए की धनराशि, ब्याज यदि कोई लिया जाना हो, इसकी वसूली की समय सारणी एवं कोई अन्य विवरण निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से वर्णित होने चाहिए। यह आगे बताता है कि विलम्बित वसूलियों पर लगाए जाने वाले ब्याज का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.3 की ओर ध्यान आकृष्ट करना है जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी) द्वारा मोबलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की वसूली पर प्रेक्षण प्रतिवेदित किया गया था। इसी

[3] निर्माण की लागत के लिए ₹ 1.01 करोड़ एवं सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹ 4.21 करोड़।
[4] निर्माण की लागत के लिए ₹ 1.01 करोड़ एवं फसल क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 0.06 करोड़।

प्रकार के प्रकरण यूपीपीसीएल की दूसरी सहायक कम्पनी यथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पुनः पायी गयी है।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड[5] (यूपीपीसीएल) ने अपनी बोर्ड बैठक (31 जुलाई 2013) में संकल्पित किया कि आर–एपीडीआरपी[6] पार्ट बी योजना के तहत 02 मई 2013 से पहले निष्पादित किए गए अनुबन्धों के सम्बंध में एमए पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, निविदाओं के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एमए की वसूली की जाएगी। आर–एपीडीआरपी पार्ट बी योजना के तहत 02 मई 2013 के पश्चात निष्पादित किए गए निविदाओं के सम्बंध में, एमए पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा एवं एमए को एक वर्ष के भीतर किश्तों में वसूल किया जायेगा। दोनों ही दशाओं में यथा 02 मई 2013 के पूर्व एवं पश्चात के निविदाओं में, एमए की वसूली निर्धारित समय अवधि में होनी थी।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने आर–एपीडीआरपी पार्ट बी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं भदोही शहरों के उपभोक्ताओं की आपूर्ति में सुधार करने एवं एटीएण्डसी[7] हानियों को कम करने के लिये वितरण प्रणाली की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण, प्रणाली सुधार के निर्माण कार्य एवं आपूर्ति के लिए एक ठेकेदार[8] से टर्नकी आधार पर ₹ 66.82 करोड़ के कुल लागत पर (मिर्जापुर के लिये ₹ 48.24 करोड़ एवं भदोही के लिये ₹ 18.58 करोड़) दो अनुबन्ध निष्पादित किये।

आशय पत्र (एलओआई) निर्गत (15 जनवरी 2013) होने के 15 माह में कार्य की पूर्णता की निर्धारित तिथि 15 अप्रैल 2014 थी। कम्पनी के प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के बाद अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, मिर्जापुर (नोडल अधिकारी) द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जाना था। निविदा एवं अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार, अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत ब्याज मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाना था। हालाँकि, इसमे न तो एमए की वसूली की अवधि एवं तरीका वर्णित था और न ही एमए की विलम्बित वसूली की स्थिति में ब्याज की दर वर्णित थी।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2019) कि बोर्ड के जुलाई 2013 के समुचित निर्णय के बाद ₹ 6.68 करोड़ का ब्याज मुक्त एमए ठेकेदार को दिया गया (अक्टूबर 2013)। चूँकि बोर्ड के निर्णय (31 जुलाई 2013) के अनुपालन में एमए की वसूली निर्धारित समय अवधि में की जानी थी एवं एमए के वसूली की अवधि एवं एमए की विलम्बित वसूली की स्थिति में ब्याज लिये जाने के बारे में निविदा एवं अनुबन्ध में वर्णित नहीं किया गया, यूपीपीसीएल के बोर्ड के निर्णय की तिथि के पश्चात, कम्पनी द्वारा दिये गये एमए को इसके भुगतान के एक वर्ष के भीतर वसूली एवं बकाया एमए की शेष धनराशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

हालाँकि, नोडल अधिकारी एमए की भुगतान करने की तिथि (अक्टूबर 2013) से एक वर्ष के भीतर एमए की वसूली करने में विफल रहें। नोडल अधिकारी ने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से एमए के सापेक्ष बिलों के मूल्य का केवल 10 प्रतिशत की कटौती की। इस प्रकार, एमए के सापेक्ष एक वर्ष में अर्थात् सितंबर 2014 तक केवल ₹ 2.71 करोड़ की वसूली की जा सकी। एमए की किस्तों में वसूली की प्रक्रिया फरवरी 2018 में पूरी हुई जोकि एक वर्ष की निर्धारित अवधि के सापेक्ष चार वर्ष और पाँच माह थी। इसके कारण, कम्पनी को अक्टूबर 2014 से फरवरी 2018 तक की विलम्बित वसूली अवधि के दौरान एमए की बकाया धनराशि पर ₹ 99.27 लाख ***(परिशिष्ट–2.1)*** की ब्याज हानि हुई।

---

[5] उत्तर प्रदेश में पॉवर डिस्कॉम्स की स्वामित्व धारक कम्पनी।

[6] पुर्नगठित–त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम।

[7] समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक।

[8] मै0 कैपिटल पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

सीएजी के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किये जाने के बावजूद वर्तमान प्रकरण समान प्रकृति की अनियमितता की निरंतरता का सूचक है।

जवाब में, प्रबंधन ने प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (मई 2020) कि ठेकेदार से ब्याज की धनराशि की वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है। आगे यह भी कहा कि ब्याज की धनराशि की वसूली करने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

तथ्य यह है कि यूपीपीसीएल बोर्ड के निर्णय का समय पर पालन नहीं करने के कारण धनराशि की वसूली अभी तक की जानी है (जून 2020)।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।